

कृषि निदेशालय, बिहार

आ० संख्या-6/स्था०प्र०/ए०सी०पी०-06/16

/क०, पटना, दिनांक

, 2016

आदेश

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-3 एम-2-5 वे०पु० 28/00-4685 वि० (2) दिनांक 25.06.2003 एवं सकल्प संख्या-3ए०-2-वि०पु०-18/2009-7566 दिनांक 14.07.2010 के आलोक में विभागीय स्त्रीनिंग कमिटी की दिनांक 01.09.2016 को सम्पन्न बैठक में की गई अनुशांसा के अनुरूप बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003 एवं रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010 के प्रावधानों के तहत बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-1 (शष्य) प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष के कर्मियों/पदाधिकारियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना प्रभावी तिथि 09.08.99 अथवा उसके पश्चात 12/24 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि से प्रथम/द्वितीय तथा रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन 10, 20 और 30 वर्षों की सेवा पूरी करने पर प्रथम/द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन दिया जाना है। जिसकी प्रभावी तिथि 09.08.1999/01.01.2009 है। प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति उनके नाम के सामने कॉलम 3 एवं 4 में अंकित तिथि से नियमानुसार स्वीकृति दी जाती है:-

क्र० सं०	कर्मि का नाम/पदनाम/कार्यालय का नाम	प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की तिथि	द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन/ द्वितीय रूपान्तरित सुनिश्चित की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री भरत पाण्डेय से०नि० परियोजना कार्य० पदा०, सासाराम, रोहतास	09.08.1999 6500-10500/-	09.08.1999 10000-15200/-	
2	श्री तारानन्द सिन्हा, सेवानिवृत्त, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, पूर्णिमा पूर्व।	09.08.1999 6500-10500/-	09.08.1999 10000-15200/-	
3	श्री राजीव कुमार आजाद, अनुदेशक शष्य, पटना	-	04.06.2006 10000-15200/-	
4	श्री अभय चन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्त, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, प्रसार मुंगेर।	-	14.02.2007 10000-15200/-	
5	श्री प्रमंजन कुमार शर्मा सेवानिवृत्त अनुदेशक, कृषि, मुजफ्फरपुर	-	15.12.2004 10000-15200/-	
6	श्री अशोक कुमार महाराज, से०नि०, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, किशनगंज।	-	01.12.2004 10000-15200/-	

उपर्युक्त कर्मि के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित कर्मि को प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

ह०/-

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

प्रतिलिपि :- अपर कृषि निदेशक, (प्रसार)/संयुक्त निदेशक (शष्य) शिक्षा/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (विभाग/निदेशालय)/सभी संबंधित कोषांगार/सभी संयुक्त निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/निदेशक, भूमि संरक्षण/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/संबंधित सभी कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

कृ०, पटना, दिनांक-

,2016

जापांक-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

कृ०, पटना, दिनांक- 21/9/2016

जापांक - 811

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग को कृषि विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Handwritten signature
19.9.16

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।